जन आधार

जन आधार

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः–एफ.17(8)24 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्राधि. बैठक / 2020 / 2193 दिनांकः 23-09-2024

कार्यवाही विवरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक

दिनांक–18.09.2024

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक दिनांक 18.09.2024 को संपन्न हुई। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर समीक्षा की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

एजेण्डा क्रमांक	एजेण्डा	निर्णय	पालनार्थ संबंधित विभाग / अधिकारी
1.	तृतीय बैठक दिनांक 09.05.2022 के कार्यवाही विवरण की अनुपालना की समीक्षा	तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण की अनुपालनाओं को पूर्ण माना गया।	–
2.	लघु / सीमान्त किसान श्रेणी का जन आधार में निर्धारण	भू–धारक के आधार संख्या व व्यक्तिगत जन आधार पहचान संख्या की उसके कृषि भूमि के रिकॉर्ड में सीडिंग को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जावे ताकि जन आधार में लघु / सीमान्त किसान श्रेणी का स्पष्ट निर्धारण किया जा सके।	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
3.	जन आधार पीवीसी कार्ड को मांग आधारित प्रणाली के माध्यम से (आधार पीवीसी कार्ड प्रणाली की तरह) परिवार के निवास पर प्रदायगी	एजेण्डा से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय (प्रभारी मंत्री, आयोजना विभाग) के अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जावे।	संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
4.	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के स्ववित्तपोषित संस्थान बनाने के लिए आय के स्त्रोत के सृजन हेतु प्रस्ताव	• जन आधार में स्वयं निवासी के द्वारा SSO ID के माध्यम से किए जा रहे अद्यतनों पर निवासी से 25 रू की दर से शुल्क लिए जाने का निर्धारण किया गया तथा • निश्चित अवधि में होने वाले अद्यतन (यथा आय अद्यतन, शिक्षा का स्तर में अद्यतन इत्यादि) एवं सरकार द्वारा बाध्यकारी अद्यतन को निःशुल्क रखा जाना है उपरोक्त निर्णयों पर अन्तिम अनुमोदन हेतु पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय (प्रभारी मंत्री, आयोजना विभाग) को प्रस्तुत की जावे।	संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
5.	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विनियमों के प्रारूपों का अनुमोदन	वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा अधिप्रमाणित तथा सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त विनियमों के प्रारूपों का [illegible]	संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2024.09.23 12:25:49 IST
Reason: Approved

		आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा पुनरावलोकन किया जाना है। तत्पश्चात् नियमानुसार अधिसूचना जारी करवाने संबंधित प्रक्रिया पत्रावली पर प्रस्तुत कर संपादित करवाई जाए।	आधार प्राधिकरण
6.	पूर्व में स्थापित 300 एटीएम को पुनः चालू करने की व्यवहार्यता पर समीक्षा	शासन सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग के स्तर पर पूर्व में स्थापित 300 एटीएम के संचालन तथा नये स्थापित होने वाले 300 एटीएम की स्थापना के क्रम में सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग की विभागीय समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट पर अन्य संबंधित हितधारकों के साथ बैठक कर उचित निर्णय मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।	शासन सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प
7.	ई–मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत सेवाओं की दरों में परिवर्तन का अनुमोदन	ई–मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत सेवाओं की दरों में परिवर्तन के प्रस्ताव राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जावें।	संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
8.	वित्त विभाग द्वारा लोक–कल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं के बजट आवंटन हेतु इनके जन आधार प्लेटफॉर्म से एकीकरण को अनिवार्य शर्त के रूप में सम्मिलित किया जाना	लोक–कल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं के जन आधार प्लेटफॉर्म से एकीकरण हेतु विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर योजनाओं/सेवाओं का जन आधार प्लेटफॉर्म से एकीकरण सुनिश्चित किया जाना है।	संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
9.	जन आधार से एकीकरण के फलस्वरूप विभिन्न विभागों से प्राप्त निवासियो के ट्रांजेक्शनल डेटा के विश्लेषण तथा विश्लेषण उपरांत अपात्र लाभार्थियों का चिन्हिकरण	निवासियों के ट्रांजेक्शनल डेटा के विश्लेषण किए जाने हेतु सहमति दी गई और विश्लेषण उपरान्त विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जाए।	संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
10.	राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति की समीक्षा	प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।	–
11.	जन आधार में दर्ज सामाजिक श्रेणीवार सूचना का जन आधार वेबसाईट पर प्रदर्शन	प्रस्तावित सूचनाओं को वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होती है।	–

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

Signature valid

(अनुपमा जोरवाल)
सदस्य सचि[illegible]
[illegible]
पदे[illegible]

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2024.09.23 12:25:49 IST
Reason: Approved

जन आधार

जन आधार

क्रमांकः—एफ.17(8)24 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्राधि. बैठक / 2020 / 2194-2208 दिनांकः 23-09-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
7. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक (वित्त), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
13. तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
14. तकनीकी निदेशक (ई—मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
15. प्रभारी अधिकारी, जन आधार वेबसाईट, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2024.09.23 12:25:49 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–1

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की की दिनांक 18–09–2024 को आयोजित चतुर्थ बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2.	श्री सुबीर कुमार, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3.	श्री नवीन जैन, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, जयपुर।
4.	श्रीमती अर्चना सिंह, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5.	श्रीमती अनुपमा जोरवाल, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
6.	श्रीमती आभा बेनीवाल, अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
7.	श्री विनेश सिंघवी, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
8.	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, उप महानिदेशक एवं राज्य आसूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), जयपुर।
9.	श्री वी.सी. बुनकर, निदेशक (वित्त), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
10.	श्री आर.एल. सोलंकी, तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
11.	श्री अरूण माथुर, वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), जयपुर।
12.	श्री अनिल कुमार सिंह, निदेशक, तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
13.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
14.	श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
15.	श्री नन्द किशोर शर्मा, एसीपी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
16.	श्री अजय भारती, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
17.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
18.	श्री सुरज्ञान डिडेल, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
19.	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
20.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
21.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
22.	श्री राजकुमार मंगल, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।